भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1089

दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए पोर्टल

1089. डॉ. थोल तिरूमावलवन:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कार्य स्थलों पर यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज करने के लिए समर्पित पोर्टल शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास दर्ज की गई शिकायतों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं और ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (पॉश अधिनियम) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिनांक 29 अगस्त, 2024 को एक डिजिटल निगरानी पहल के रूप में यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) पोर्टल (https://shebox.wcd.gov.in/) शुरु किया। इस पोर्टल पर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले 1,89,000 से ज़्यादा कार्यस्थलों को शामिल किया गया है।

पॉश अधिनियम के तहत उपयुक्त सरकार को अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने तथा इस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज और निपटान किए गए मामलों की संख्या का ब्योरा रखना अनिवार्य है। इसमें उन कार्यस्थलों पर, जहाँ कर्मचारियों की संख्या 10 या उससे अधिक है, आंतरिक समिति (आईसी) के गठन का प्रावधान है। साथ ही, यह भी अनिवार्य है कि अधिनियम के तहत अधिसूचित जिला अधिकारी द्वारा स्थानीय समिति (एलसी) का गठन किया जाए, ताकि उन कार्यस्थलों के मामलों का निपटान किया जा सके जहाँ कर्मचारियों की संख्या 10 से कम है या जब शिकायत स्वयं नियोक्ता के विरुद्ध हो।

शी-बॉक्स पोर्टल वैधानिक या नियामक निगरानी तंत्र नहीं है; यह केवल एक आईटी सुविधा है, जो विभिन्न कार्यस्थलों पर गठित आईसी और एलसी के बारे में जानकारी के प्रसार को सुगम बनाने हेतु एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली प्रदान करती है, ताकि कोई भी पीड़ित महिला सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के शिकायत दर्ज कर सके तथा उसकी प्रगति पर नज़र रख सके। हालांकि, पॉश अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, उपर्युक्त सरकारें इस अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी हैं।

यह पोर्टल, पॉश अधिनियम के अंतर्गत प्रासंगिक प्रावधानों, जिनमें धारा 12 से 15 तथा पॉश नियमों के अंतर्गत नियम 7 से 10 शामिल हैं, के अनुसार शिकायतों के निपटान के विकल्प प्रदान करता है। दिनांक 29 अगस्त, 2024 को शी-बॉक्स पोर्टल के आरम्भ के बाद से (20.07.2026 तक) पोर्टल पर पंजीकृत एवं निपटान की गई शिकायतों का विवरण निम्नानुसार है:

कार्यस्थल/क्षेत्र	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटाई गई शिकायतों की संख्या
केन्द्र	221	137
राज्य	155	61
निजी	128	8
कुल	504	206
